



राजस्थान सरकार
राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर +91-141-2702477, 2702528
E-mail :- raj.madarsa@rajasthan.gov.in,
Website :- www.minority.rajasthan.gov.in/madarsaboard



क्रमांक :- एफ()/रामबो/संस्थापन/शिक्षा सहयोगी/मानदेय वृद्धि/2022-23/134

दिनांक :- 13/4/22

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 128 में की गई घोषणा के अनुरूप संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के आदेश क्रमांक प.25(1)अल्प. वक्फ/2022/RK/00506 जयपुर दिनांक 12 अप्रैल 2022 के अनुसरण में मदरसा शिक्षा सयोगियों के मानदेय में 01 अप्रैल 2022 से 20 प्रतिशत वृद्धि कर निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृती एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.स.	संविदा कार्मियों के भर्ती का चरण	संविदा पर लेने का वर्ष	संविदा कार्मियों की संख्या	01.04.2021 से देय मानदेय राशि (प्रति माह)	बजट घोषणा अनुसार 20 प्रतिशत वृद्धि राशि	दिनांक 01.04.2022 से देय मानदेय (प्रति माह राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम	2001	56	11986	2397	14383
2	द्वितीय	2003	12	11986	2397	14383
3	तृतीय	2003	258	11986	2397	14383
4	चतुर्थ	2005	881	10455	2091	12546
5	पंचम (प्रथम)	2011	1157	9843	1969	11812
6	पंचम (द्वितीय)	2012	1194	9616	1923	11539
7	सीपीटी	2011	314	9843	1969	11812
8	छठा-चरण	2013	1730	9616	1923	11539
9	एस.एस.ए	2001	54	11986	2397	14383
	योग		5656			

मदरसा शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में 01 अप्रैल 2022 से 20 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप उक्त सारणी के कॉलम संख्या 07 के अनुसार प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृती वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162200417 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

31/4/22
(हरिताम कुमार आदित्य)
सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
5. अध्यक्ष महोदया, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि चरणवार मदरसा शिक्षा सहयोगियों को 01 अप्रैल 2022 से उक्त सारणी के कॉलम संख्या 07 के अनुसार प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

31/9/22
सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर